मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 415-416 प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 697 / 2016
भोपाल, दिनांक 24-07-2020

आवेदकः–
M/s Sahara Engineering,
Shri Mohammad Zafar Khan,Pro.
House no. 95,
Church Road,
Jahangirabad,
Bhopal - 462008

विरूद्ध अनावेदकगणः–
M/s Frontline Rollforms Pvt. Ltd.,
A/209, Aremja Corner,
2nd Floor, Sector-17
Vashi,
Navi Mumbai - 400703

अन्तिम सुनवाई दिनांक 14.07.2020
माध्यस्थम आदेश दिनांक 22.07.2020

आवेदक द्वारा दिनांक 18.04.2016 को प्रस्तुत दावा आवेदन–पत्र में निम्नानुसार दावे का प्रस्तुतीरण किया हैः–

1. अनावेदक M/s Frontline Rollforms Pvt. Ltd., Uttam House, Mumbai द्वारा M/s Maksons nutrition foods Indiz Ltd. Mandideep Distt. Raisen में Sheeting and Structural कार्य संपादन हेतु राशि रू. 10,36,588/– का कार्यादेश क्रमांक FRFL/MBD/SKA/WO/02 and 03 दिनांक 12.03.2013 एवं राशि रू. 1,07,281/– के अन्य कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। इस कार्य की कुल राशि रू. 11,43,869/– थी।

2. आवेदक द्वारा कार्यादेश अनुसार कार्य संपादित कर, राशि रू. 10,36,588/– की इन्वाईस क्रमांक 82, दिनांक 15.05.2013, एवं किये गये अतिरिक्त कार्य की राशि रू. 1,07,281/– की इन्वाईस क्रमांक 83, दिनांक 20.07.2013 भुगतान हेतु अनावेदक को प्रस्तुत किये गये।

3. आवेदक द्वारा संपादित किये कार्य के प्रमाणीकरण एवं सत्यापन हेतु प्रस्तुत की इन्वाईस से स्व प्रमाणित है। पृथक से डिलीवरी चालान एंव कार्य पूर्णता प्रमाण जारी नही किया गया है।

4. आवेदक द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत इन्वाईसेस के विरूद्ध प्राप्त/अप्राप्त भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :–

..........2

No.	Invoice No. & Date	Amount INR	Service Tax	Toatal Amount	Payment Received by Non Applicant		Balance Amount
1	82, 15.05.2013	922560	114028	1036588	No details	100000	611588
					19.06.13	200000	
					11.05.14	125000	
					Total Amount Received	425000	
2	83, 20.07.2013	95480	11801	107281		--	107281
				1143869		**425000**	**718869**

5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनावेदक के वर्क आर्डर में आवेदक द्वारा किये गये भुगतान की टर्म्स एण्ड कंडीशन निम्नानुसार है :—

1) Payments against running bill will be made, by retaining 25% of of bill amount.
2) Last & final bill will only be relased only after satisfactory completion of the work Site completion report to be attached along with the bill.
3) Approximately payment will be released 45 days after submission of bill.

6. आवेदक ने लेख किया कि अनावेदक अथवा प्राजेक्ट साईड के मालिक से कोई भी शिकायत प्राप्त नही हुई है। आवेदक द्वारा अनावेदक को बकाया भुगतान हेतु लीगल नोटिस दिनांक 19.05.2015 को प्रेषित किया गया।

7. आवेदक द्वारा सूक्ष्म उद्यम होने के प्रमाणीकरण हेतु उद्योग आधार क्रमांक MP35A0000226 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. अतः आवेदक द्वारा बकाया भुगतान की राशि रू. 7,18,869/— एवं इस राशि पर एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधान अनुसार दिनांक 30.04.2016 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 7,70,410/— का दावा प्रस्तुत किया गया है।

9. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 191, दिनांक 13.05.2016 से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को प्रेषित किया गया। इसके पश्चात प्रकरण सुनवाई दिनांक 16.06.2016, 21.12.2016, 15.03.2017, 27.01.2018, 27.08.2018 एवं दिनांक 14.07.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र जारी किये गये।

10. आवेदक द्वारा अनावेदक के दो पते बताये गये जिन पर अनावेदक को प्रेषित सुनवाई के नोटिस वापिस प्राप्त हुए। आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 03.07.2020 से अनावेदक का पुनः नवीन पता एवं ई—मेल से अवगत कराया गया।

11. सुनवाई दिनांक 14.07.2020 को आवेदक उपस्थित हुए।

अनावेदक को दिनांक 13.05.2016 को भेजा गया नोटिस दिनांक 03.06.2016 को उन्हे तामिल हुआ है। इसके अलावा अनावेदक श्री संजय खुटेटा, सी.ई.ओ. से दुरभाष पर चर्चा की गई, जिसमें उनके द्वारा वताया गया कि वे इस कंपनी में काम करते है परन्तु उनके द्वारा यह बोला गया कि उन्हे प्रकरण के संवंध में कोई जानकारी नही है।

..........3

12. आवेदक द्वारा प्रकरण अपने दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, परन्तु अनावेदक सूचना उपरांत भी उनके द्वारा कोई उततर प्रस्तुत नही किया गया है। अनावेदक की अनुपस्थिति के फलस्वरूप उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए, प्रकरण गुण–दोष के आधार पर आदेश हेतु नियत किया जाता है।

13. प्रकरण में वाद के तथ्य यह है कि अनावेदक M/s Frontline Rollforms Pvt. Ltd., Uttam House, Mumbai द्वारा प्रोजेक्ट साईड M/s Maksons nutrition foods India Ltd. Mandideep Distt. Raisen में Structural Erection, Roof Sheeting Work and Ridge Fixing का निर्माण कार्य संपादित करने हेतु टैक्सेस सहित कुल राशि रू. 10,36,588 /– का कार्यादेश क्रमांक FRFL/MBD/SKA/WO/02 and 03 दिनांक 12.03.2013 दिया गया तथा आवेदक द्वारा राशि रू. 1,07,281 /– के अन्य कार्य भी आवश्यकता अनुसार किये गये है। इस प्रकार आवेदक द्वारा कुल राशि रू. 11,43,869 /– कार्य किया गया है, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा आवेदक को कुल राशि रू. 4,25,000 /– का भुगतान किया गया है तथा संदाय राशि रू. 7,18,869 /– का भुगतान अनावेदक द्वारा नही किया गया है।

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र की प्रति काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 191, दिनांक 13.05.2016 से अनावेदक को स्पीड–पोस्ट से प्रेषित किया गया, जो काउन्सिल को वापिस प्राप्त नही हुआ है, अतः इसकी तामिली मानी जाती है। सुनवाई दिनांक 16.06.2016 का सूचना पत्र जावक दिनांक 26.05.2016, स्पीड–पोस्ट की ट्रेकिंग रिपोर्ट अनुसार, दिनांक 30.05.2016 को, भेजा गया जो अनावेदक को दिनांक 03.06.2016 को डिलीवर्ड हुआ है। इससे भी प्रथम नोटिस दिनांक 13.05.2016 अनावेदक को प्राप्त होने की पुष्टि होती है। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक को, आवेदक का दावा आवेदन पत्र एवं सुनवाई दिनांक 16.06.2016 का सूचनापत्र प्राप्त होने के उपरांत एवं आवेदक का दावा अनावेदक के संज्ञान में होते हुए भी, आवेदक क्षरा दावा की गई राशि का खंडन कर, उत्तर प्रस्तुत नही किया एवं न, ही काउन्सिल के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा कार्यादेश से अनावेदक द्वारा आवेदक को प्रोजेक्ट साईड M/s Maksons nutrition foods India Ltd. Mandideep Distt. Raisen में Structural Erection, Roof Sheeting Work and Ridge Fixing का निर्माण कार्य संपादित करने हेतु टैक्सेस सहित कुल राशि रू. 10,36,588 /– का कार्यादेश क्रमांक FRFL/MBD/SKA/WO/02 and 03 दिनांक 12.03.2013 दिये जाने की पुष्टि होती है।

16. आवेदक द्वारा राशि रू. 1,07,281 /– के किये गये अतिरिक्त कार्यो की पुष्टि उपरोक्त कार्यादेश से नही होती है। कार्यादेश में यह उल्लेखित नही है कि आवेदक द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्यो (Additionl Work) का भुगतान अनावेदक द्वारा किया जावेगा। आवेदक द्वारा कौन–कौन से अतिरिक्त कार्य (Additionl Work) किये गये है, दावा आवेदन पत्र में कही भी उल्लेखित नही किये है

..........4

एवं न, ही, कार्यादेश अनुसार किये गये कार्यो के साथ, अतिरिक्त कार्य (Additionl Work) किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है।

17. आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रेषित विधिक सूचना पत्र दिनांक 19.05.2015 में भी बिल राशि रू. 9,11,588 / – का ही उल्लेख किया गया है जो आवेदक द्वारा जारी बिल क्रमांक 82, दिनांक 15.05.2013 में दर्शित राशि है। इस विधिक सूचना पत्र में आवेदक द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्य (Additionl Work) के देयक क्रमांक 83, दिनांक 20.07.2013 की राशि रू. 1,07,281 / – का उल्लेख कर राशि की मांग नही की गई है। यह भी पाया गया कि आवेदक द्वारा विधिक सूचना पत्र में कार्य पूर्ण करने का दिनांक 27.05.2013 उल्लेखित किया गया है, एवं आवेदक द्वारा अतिरिक्त कार्य (Additionl Work) का देयक दिनांक 20.07.2013 को लगभगग डेढ़ माह पश्चात निर्मित किया है।

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत देयक क्रमांक 83, दिनांक 20.07.2013 की राशि रू. 1,07,281 / – के अतिरिक्त कार्य किये जाने की पुष्टि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र में दर्शित तथ्यो एवं प्रस्तुत अभिलेखों से नही होती है। अतः द्वारा प्रस्तुत देयक क्रमांक 83, दिनांक 20.07.2013 की राशि रू. 1,07,281 / – का दावा मान्य योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

19. आवेदक द्वारा अनावेदक के कार्यादेश अनुसार किये गये कार्य के बिल क्रमांक 82, दिनांक 15.05.2013 में दर्शित कुल राशि रू 10,36,588 / – में से प्राप्त अग्रिम राशि रू. 1,25,000 / – के समायोजन उपरांत रू. 9,11,588 / – के देयक भुगतान हेतु अनावेदक को प्रस्तुत किये गये है, जिसमें से आवेदक के अनुसार रू. 1,00,000 / – तथा दिनांक 19.06.13 को राशि रू. 2,00,000 / – कुल रू. 3,00,000 / – का भुगतान किया गया है, जिसके समायोजन उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से, राशि रू. 6,11,588 / – (9,11,588–3,00,000) अनावेदक पर बकाया होना पाया जाता है।

20. आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 10 में देयक क्रमांक 82, दिनांक 15.05.2013 की शेष बकाया राशि रू. 6,11,588 / – पर अपाईन्टेड–डे दिनांक 29.07.2013 से दिनांक 30.04.2016 तक ब्याज राशि रू. 6,23,695 / – का दावा किया है।

21. अतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार सामग्री प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 45 दिवस की समयावधि अनावेदक द्वारा आवेदक को भुगतान किया जाना था। अनावेदक द्वारा आवेदक से अविवादित सामग्री प्राप्त करने के उपरांत नियत समयावधि में आवेदक को भुगतान नहीं किया गया है। अतः आवेदक, अनावेदक से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के प्रावधान अनुसार भुगतान पाने का अधिकारी है।

22. अतएव, ''म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017'' के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक M/s Frontline Rollforms Pvt. Ltd., A/209, Aremja Corner, 2nd Floor, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai- 400703 द्वारा, बकाया संदाय राशि रू. 6,11,588 / – (रूपये छ लाख ग्यारह हजार पांच सौ अट्ठयासी मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 30.04.2016 तक की ब्याज राशि रू. 6,23,695 / – (रूपये छ लाख तेईस

..........5

हजार छ सौ पिन्च्यानवें मात्र) कुल राशि रू. 12,35,283 /– (रूपये बारह लाख पैंतीस हजार दो सौ तिरयासी मात्र) एवं भुगतान दिनांक तक, के ब्याज का भुगतान आवेदक M/s Sahara Engineering, Shri Mohammad Zafar Khan,Pro. House no. 95, Church Road, Jahangirabad, Bhopal - 462008 को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

23. अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

24. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश / अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी / अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश / अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

25. प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, ''मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद'' भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2 /– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(अनन्या विश्वास)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहयक प्रवंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक ~~प्रबंधक,~~ निदेशक
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।